APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

मधु पंचोली बनाम गिरधारीशंकर

मुकदमा 88 नं. 159 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/7/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रति0 नं0 2 लगायत 5 अधिवक्ता श्री बृजनारायण शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की सिविल रिट पीटीशन नं0 6109/2019 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि हस्त गत प्रकरण से संबंधित आराजी पर माननीय न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा स्थगन जारी किया हुआ है। अतः हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही का रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारां केवल मात्र वर्तमान यथास्थिति को बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया है। अतः प्रति0 नं0 2 लगायत 5 अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जावें। बहस उभय अधिवक्ता सुने जाने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के कथनों पर मनन किया गया। बाद अवलोकन हम प्रति0 अधिवक्ता किये गये कथनों को उचित पाते है। अतः प्रति0 अधिवक्ता द्वारा किया गया निवेदन स्वीकार कर हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित की जाती है।	